



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-15-04-2025

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त नन्दलाल राय को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 03 वर्ष के कारावास व कुल- 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 120/2017, धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त नन्दलाल राय उर्फ बबलू राय पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद राय निवासी जोगा मुसाहिब थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर को थाना-सिगरा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 15-04-2025 को मा0 न्यायालय जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष के कारावास व कुल- 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी